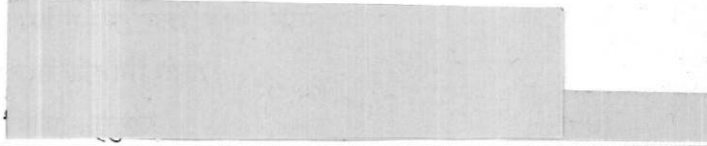




केन्द्रीय सूचना आयोग
बाबा गंगनाथ मार्ग, मुनिरका
नई दिल्ली 110067

C. I. C. सू. आ.
RECEIVED
10 JAN 2025
D. No.
Initials. <i>Ram</i>

प्रथम अपील सं. CICOM/AP/24/00150
संदर्भ संचिका सं. CICOM/R/P/24/00474
अपीलकर्ता कृष्णा कुमार



आर.टी.आई. आवेदन की तिथि	30.10.2024
संबंधित केन्द्रीय जन सूचना अधिकारी को आवेदन प्राप्त होने की तिथि	04.11.2024
आर.टी.आई. के तहत सूचना प्रदान करने की तिथि	18.11.2024
प्रतिउत्तर देने वाले जन सूचना अधिकारी	श्री एस.एस.चिकारा, CPIO (DR to ICAR)
प्रथम अपील दाखिल करने की तिथि	18.12.2024
प्रथम अपीलीय अधिकारी के कार्यालय में प्रथम अपील आवेदन प्राप्त होने की तिथि	27.12.2024
निर्णय की तारीख	10.01.2024

1. मांगी गई सूचना

अपीलकर्ता द्वारा दिनांक 30.10.2024 के आर.टी.आई आवेदन के माध्यम से निम्नलिखित सूचनाएं मांगी गई थी :-

- मुझे उपरोक्त सुनवाई की CCTV FOOTAGE with audio & video उपलब्ध करायी जाये।
- भुगतान किये जाने वाले दस्तावेज सी.डी. फ्लोयी इत्यादि शुल्क की सूचना दी जाये।
- वांछित शुल्क का भुगतान अधिनियम की धारा - 7 (6) के अनुसार ही किया जायेगा।

2. प्रदान की गई सूचना

श्री एस.एस.चिकारा, केन्द्रीय जन सूचना अधिकारी पत्र दिनांकित 18.11.2024 के माध्यम से निम्नलिखित सूचनाएं प्रेषित की गई:-

o/c

"Point 1 & 2.) - As per the practice in vogue at CIC, the hearings conducted are not being recorded hence the same are not available.

Point 3.) - Since the requisite documents asked above are not available, hence no payment is required to be made."

3. प्रथम अपील का आधार

"लोक सूचना अधिकारी ने उपरोक्त दिए गए आवेदन पर आज तक कोई भी प्रतिक्रिया व्यक्त नहीं की है। वांछित सूचना उपलब्ध कराने की वांछित समय सीमा समाप्त हो चुकी है। अतः यह प्रथम अपील प्रेषित है।"

5. निर्णय

आर. टी. आई. आवेदन, प्रदान की गई सूचना एवं प्रथम अपील का अवलोकन करने पर पाया गया कि अपीलकर्ता के आर.टी.आई. आवेदन सं. CICOM/R/P/24/00474 के प्रतिउत्तर में केंद्रीय जन सूचना अधिकारी द्वारा प्रेषित की गई सूचना सूचना का अधिकार अधिनियम के प्रावधानों एवं मांगी गई सूचना के अनुसार नहीं है। परन्तु आपने अपनी प्रथम अपील में यह कहा है कि मुझे आज तक कोई सूचना नहीं प्रदान की गई है, जबकि केंद्रीय जन सूचना अधिकारियों ने 18.11.2024 को ही सूचना दे दी है। जिसकी प्रति प्रथम अपील के आदेश के साथ सलग्न कर दी गई है। अतः केंद्रीय जन सूचना अधिकारी द्वारा प्रदान की गई सूचना तथ्यात्मक है और इसमें प्रथम अपीलीय अधिकारी के हस्तक्षेप की कोई आवश्यकता नहीं है।

5. तदनुसार अपील निस्तारित की जाती है।

6. प्रस्तुत संदर्भ में अपीलकर्ता यदि इस आदेश /निर्णय से संतुष्ट न हो तो अधिनियम की धारा 19 (3) के अंतर्गत द्वितीय अपील इस आदेश की प्राप्ति 90 दिनों के अंदर केंद्रीय सूचना आयोग, बाबा गंग नाथ मार्ग, मुनिरका, नई दिल्ली - 110067 में की जा सकती है।

निर्णय की दिनांक : 10.01.2025

रजिस्ट्रार & प्रथम अपीलीय अधिकारी

दूरभाष : 011-26105021

प्रतिलिपि :

1.) केंद्रीय जन सूचना अधिकारी, आर.टी.आई. प्रकोष्ठ, केंद्रीय सूचना आयोग, नई दिल्ली।